भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 170
दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

चक्रवातों के कारण हुई हानि

†170. श्री एस. रामलिंगमः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री सु. थिरूज्ञ बुक्करासरः
श्री ए. राजाः
डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कुछ माहों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 'निवार', 'बरेवी' और 'अर्णब' नामक भंयकर चक्रवाती तूफान आए हैं;
(ख) यदि हां, तो किसानों/मछुआरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है और इससे सम्पत्ति, फसलों, पशुओं, मत्स्य और उपकरणों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें मारे गए, घायल हुए और लापता लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) इसमें नियुक्त किए गए एनडीआरएफ और राज्य कार्मिकों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को बचाया गया है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में हुई हानि के आंकलन हेतु केन्द्रीय दल नियुक्त किए हैं और फसल को हुई हानि और नुकसान इत्यादि के लिए किसानों को सहायता निधि आबंटन की सिफारिश की है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मांगी गई राहत राशि एवं प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय करके इस प्रकार की बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जी, हाँ। भयंकर चक्रवात 'निवार' और 'बरेवी' से आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए थे।

(ख):राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के आकलन के आधार पर, मानव और पशुओं की क्षति, घरों/झोपड़ियों, फसली क्षेत्र और मछुआरों की नौकाओं तथा जालों के नुकसान से संबंधित ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

(ग):केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपेक्षित लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और राहत तथा पुनर्वास संबंधी कार्य में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात कीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निवार		बरेवी	
	तैनात की गई टीमों की संख्या	सुरक्षित बचाए गए व्यक्तियों की संख्या	तैनात की गई टीमों की संख्या	सुरक्षित बचाए गए व्यक्तियों/पशुओं की संख्या
तमिलनाडु	15	2,27,317	17	1,67,666 व्यक्ति और 32 पशु
आंध्र प्रदेश	7	40940	-	-
केरल	-	-	8	177
पुदुचेरी	4	3,397	1	-

(घ) और (ङ):आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर क्षति का आकलन करती हैं और उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है।

<u>लो.स.अता.प्र.सं.170</u>

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान चक्रवात सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रिम रूप से एसडीआरएमएफ के केंद्रीय अंश की दोनों किस्तें जारी कर दी थीं, जिनकी राशि क्रमशः 1119.00 और 1020.00 करोड़ रु. है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) गठित की, जिसने इन चक्रवातों से हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के चक्रवाती तूफान 'निवार' और 'बरेवी' से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।आईएमसीटी की रिपोर्टें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार करने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति और उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

(च):प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपयुक्त तैयारी करने के लिए संस्थागत तंत्र तथा शीघ्र कार्रवाई तंत्र मौजूद हैं, जिनमें संसाधन जुटाना, ग्रामीण क्षेत्रों समेत राज्य/जिला और स्थानीय सरकारों के स्तर पर स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाकर/पूर्व चेतावनी देकर/विभिन्न आपदाओं पर मॉक ड्रिलआयोजित करके उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के समय शिक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय करना तथा साथ ही, देश में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं/आसन्न आपदाओं के दौरान क्षति को कम/न्यूनतम करना शामिल हैं।

******

लो.स. अता. प्र.सं. 170 दिनांक 02.02.2021

<u>अनुलग्नक</u>

चक्रवात निवार और बरेवी के कारण मानव-क्षति, घरों/झोपड़ियों की क्षति, पशुओं की क्षति, प्रभावित फसली क्षेत्र और मछुआरों की नौकाओं तथा जालों के नुकसान से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

चक्रवात	**राज्य**	**मानव-क्षति**	**क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियां (लाख में)**	**पशुओं की क्षति**	**प्रभावितफसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**	**मछुआरोंकी क्षतिग्रस्तनौकाएं औरजाल**
निवार	तमिलनाडु	6	4398	259	0.16	60 नौकाएं
	आंध्र प्रदेश	11	7526	10564	3.17	18 नौकाएंऔर 137 जाल
	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	0	165	31	0.02	63 नौकाएं
बरेवी	तमिलनाडु	7	5509	719	2.00	29 नौकाएं
	केरल	0	0	0	0	0
	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0

******